हुक्म	
29/6/18 नामा० सं० 586 निर्णय दिनांक 14-6-18 दर्ज रजिस्टर हु दुकाही [signature] 29/6/18 [signature]	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2018" प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत दर्ज हुआ [illegible] [illegible] अधिकारी [illegible] नामांतरण संख्या 586 दिनांक 14 6/18 को निर्णीत किया जा चुका है। लिहाजा इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

न्यायालय, उप ... मजिस्ट्रेट
फोटो प्रति मुकदमा 76/16
उदयलाल V/s सत्यनारायण वगैरह

राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख आदेश
76 / 2016 वाद पत्र	22.08.2016	12.11.2016

उदयलाल पिता धन्नालाल ब्राम्हण निवासी चौकी करमड़ास तहसील शाहपुरा
––– वादी

बनाम

1–5 सत्यनारायण, भैरूलाल, रामप्रसाद, कैलाश, कमला पिता धन्नालाल ब्राम्हण निवासी चौकी करमडास तहसील शाहपुरा
6– तहसीलदार शाहपुरा

–––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0ए0

उपस्थित :–

1. श्री अनिल शर्मा – अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88–89 आर0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :– वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मालिकाना हक व स्वामित्व की कृषि आराजी ग्राम करमडास पटवार हल्का करमडास तहसील शाहपुरा मे आराजी नम्बर 759 / 1491 रकबा 0.14 है0, 932 / 1490 रकबा 0.62 है0 कुल किता 2 रकबा 0.76 है0 स्थित है। भू–प्रबन्ध से पूर्व के नम्बर 926 / 251 / 5 ख रकबा 3 बीघा राजस्व दस्तावेजों मे दर्ज थी। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पिता धन्नालाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण के नाम से आवंटन की गई थी तथा आवंटन के बाद नामान्तरकरण संख्या 545 धन्नालाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण सा0 करमडास के नाम से गैर खातेदारी मे दर्ज की गई थी, तत्पश्चात् खातेदारी मे दर्ज की गई थी। धन्नालाल की मृत्यु 11.06.2012 को हो चुकी है। मृतक धन्नालाल के विधिक उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 है। साविक रेकार्ड मे धन्नालाल पिता जगन्नाथ दर्ज था किन्तु हाल जमाबन्दी धन्नालाल पिता पन्नालाल दर्ज कर दिया गया। अतः वाद के पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजी के खातेदार धन्नालाल पिता पन्नालाल के स्थान पर धन्नालाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण की डिक्री प्रदान करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु तलब किया गया। दिनांक 19.10.2016 को प्रतिवादी नं0 1, 4 ने उपस्थित होकर बताया कि वादपत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी नं0 3 व 4 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। पेरोकार सरकार की ओर से उनके पत्र क्रमांक 1396 दिनांक 10.11.2016 से प्रकरण मे जवाब दावा प्रस्तुत हुआ है जिसमे बताया कि वादी का नाम साविक आराजी मे धन्नालाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण दर्ज था किन्तु हाल जमाबन्दी मे वादी के पिता का नाम जगन्नाथ के

प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

बजाय पन्नालाल दर्ज कर दिया गया है। जिससे वादी के पिता का नाम शुद्व किया जाना उचित है।

दिनांक 25.10.2016 को प्रतिवादी नं0 5 स्वयं ने उपस्थित होकर बताया कि वादपत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नही है। दिनांक 12.11.2016 को वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0– 1 है। बहस अभिभाषक वादी एवं पेरोकार सरकार समायत की गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वादपत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। इसी प्रकार पेरोकार सरकार ने जवाब दावे के आधार पर वादी के पिता का नाम पन्नालाल के स्थान पर जगन्नाथ दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपत्ति नही होता बताया है।

बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 545 ग्राम करमडास पटवार हल्का इटमारिया आ0न0 926/251/5 ख रकबा 3 बीघा धन्नालाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण शर्मा करमडास गैर खातेदारी से दर्ज है। इसी अनुसार जमाबन्दी संवत 2039–42 मे धन्नालाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण दर्ज है। जमाबन्दी 2051–70 जो भू–प्रबन्ध द्वारा लिखी गई उसमें हाल नम्बर 932/1490 रकबा 0.62 है0, 759/1491 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 रकबा 0.76 है0 धन्ना पिता पन्नालाल ब्राम्हण सा0 देह गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया है। संवत 2070–73 की जमाबन्दी लिखते समय भी धन्नालाल पिता पन्नालाल ब्राम्हण सा0 देह खातेदार दर्ज हुआ है। सजरा ग्राम पंचायत ईटमारिया दिनांक 06.08.2016 अनुसार धन्नालाल पिता जगन्नाथ शर्मा नि0 करमडास – चौकी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम करमड़ास पटवार हल्का करमड़ास मे स्थित जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या 109 ख0न0 759/1491 रकबा 0.14 है0, 932/1490 रकबा 0.62 है0, कुल किता 2 रकबा 0.76 है0 मे दर्ज खातेदार धन्नालाल पिता पन्नालाल ब्राम्हण सा0 देह खातेदार दर्ज है के बजाय धन्नालाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण सा0 देह खातेदार दुरूस्ती किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12.11.2016 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

TWO RUPEES
...ING FEES ONLY

Scanned by CamScanner